

फा.सं.3/3/2016-जेसीए (पार्ट)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्थापना (जेसीए-1) अनुभाग

.....


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीसीएस (आरएसए) नियमावली, 1993 के अंतर्गत एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान करने में अत्यधिक देरी होना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारी पक्ष (जेसीएम) ने सूचित किया है कि अनेक संगठनों ने रिपोर्ट किया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग औपचारिकताओं को पूरा करने और मान्यता प्रदान करने में अत्यधिक समय ले रहे हैं।

2. इस संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालयों/विभागों से मान्यता प्रदान करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाए और उन्हें समयबद्ध रीति में निपटारा जाए। साथ ही किसी भी कमी को आवेदक एसोसिएशन के संज्ञान में शीघ्रतिशीघ्र लाया जाए ताकि वे आवश्यक संशोधन कर सकें और आवेदन का निपटान समय पर किया जा सके।


(डॉ. के. सेनगुप्ता)

उप सचिव (जेसीए)
दूरभाष सं. 23092982

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

सूचनार्थ प्रतिलिपि:

सचिव, कर्मचारी पक्ष (जेसीए), 13 सी-फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001